राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास : अनुभाग–8)
(दूरभाष 0141–2227229, Email-pdme2k_rdd@yahoo.com)

क्रमांक–एफ 7(293)ग्रावि / एमएण्डई / ग्रुप–8 / 2014 जयपुर, दिनांक 04/02/2015

जिला कलेक्टर एवं नोडल ऑफिसर
सांसद आदर्श ग्राम योजना
अजमेर, अलवर, भीलवाडा, बांसवाडा,
भरतपुर, बीकानेर,चूरू, चित्तौडगढ, दौसा,धौलपुर,
गंगानगर,झुंझुनूं, कोटा,जयपुर, जोधपुर ,जालौर, झालावाड,
नागौर, पाली, कोटा,राजसमंद,सीकर, टोंक एवं उदयपुर।

विषय – सांसद आदर्श ग्राम योजना एम पावर कमेटी की बैठक दिनांक 11.2.2015 के संबंध में सूचना प्राप्त करने के कम में।

"सांसद आदर्श ग्राम योजना" को लागू करने के संबंध में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय एमपावर कमेठी की बैठक दिनांक 11.2.2015 को आयोजित की जा रही है। बैठक में मुख्य सचिव महोदय द्वारा जिलों द्वारा अब तक की गई कार्यवाही की समीक्षा की जायेगी तथा लाईन डिपार्टमेंट से क्या अपेक्षा है इस संबंध में संबंधित विभागों से चर्चा होगी। निम्न बिन्दुओं पर आपके स्तर पर कार्यवाही कर इसे ऑनलाईन एसएजीवाई की वैबसाईट **www.saanjhi.gov.in** पर अपलोड की जानी थी। अधिकांश जिलों द्वारा यह कार्यवाही पूर्ण नहीं की है। आपसे अपेक्षा है कि निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही पूर्ण कर दिनांक 8.2.2015 तक अद्यतन करें, जिससे कि उन सूचनाओं के आधार पर मुख्य सचिव महोदय प्रगति की समीक्षा कर सके।

1. ग्राम पंचायत का चयन।
2. ग्राम पंचायत का बायोडेटा।
3. प्रत्येक चयनित आदर्श ग्राम पंचायत के लिए चार्ज अधिकारी की नियुक्ति।
4. माननीय सांसद, जिला कलक्टर तथा नोडल अधिकारी / चार्ज अधिकारी की सूचनाऐं आनलाईन अपलोड करना।
5. नोडल अधिकारी द्वारा चयनित ग्राम पंचायत का आनलाईन वेटिंग करना।
6. चयनित ग्राम पंचायतों में प्रारम्भिक एक्टिविटीज के फोटो ईमेल के माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित करना तथा यह फोटो **saanjhi.rajasthan@gmail.com** पर भी प्रेषित करें।
7. बेसलाईन सर्वे व उसका अपलोडेशन।
8. आपके जिले में पूर्व में विकसित ग्राम पंचायत का चयन जिन्हें आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में राज्य व राज्य के बाहर के अधिकारियों की विजिट करायी जा सके।
9. पंचायत विकास प्लान के प्रारम्भिक एक्टिविटीज।
10. सी.एस.आर. / दानदाताओं का सहयोग लेने के लिए आप द्वारा किये गये प्रयासों पर चर्चा व विवरण।

कृपया उक्त कार्यवाही की सूचना दिनांक 8.2.2015 तक अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

4/2/15

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव